

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276815
SG-DL-E-06102026-276815असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 226
No. 283]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948	[N. C. T. D. No. 226

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 सितंबर, 2026

फा. सं. आईडी क्र. 32003/टीओ(एस)/टीसी-फेलिंग/2025-26/9392.— जबकि, डीपीटीए ई-फोरेस्ट पोर्टल पर वृक्ष अधिकारी (दक्षिण वन प्रभाग) को श्री. मंधेना श्रीनिवासु जीपीआर, श्रीनिवासपुरी पैकेज-II, आई-मार्केट के पास, श्रीनिवासपुरी, दक्षिण दिल्ली-110065 से एक आवेदन आईडी संख्या 32003 प्राप्त हुआ था, जिसमें दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) (तत्पश्चात् डीपीटीए, 1994 के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत श्रीनिवासपुरी, पैकेज-II, आई-मार्केट के पास, दक्षिण दिल्ली-110065 में जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) परियोजना के अंतर्गत एक भवन का निर्माण हेतु 4.13 हेक्टेयर क्षेत्र में 89 वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई हेतु अनुमति मांगी गई थी।

और जबकि, वृक्ष अधिकारी (दक्षिण वन प्रभाग) ने आवेदन पर समुचित विचारण के पश्चात्, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) में वृक्ष अधिकारी (दक्षिण वन प्रभाग) द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण/कटाई के आवेदन पर विचार करने हेतु अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) की अनुप्रयोज्यता से दिल्ली वृक्ष

परिरक्षण अधिनियम, 1994 धारा 29 के अंतर्गत 4.13 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) के संबंध में छूट मांगी है।

इसलिए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा जनहित में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के अंतर्गत श्रीनिवासपुरी, पैकेज-II, आई-मार्केट के पास, दक्षिण दिल्ली-110065 में जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) परियोजना के अंतर्गत एक भवन का निर्माण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से 4.13 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) को निम्नलिखित शर्तों के साथ छूट प्रदान करते हैं :

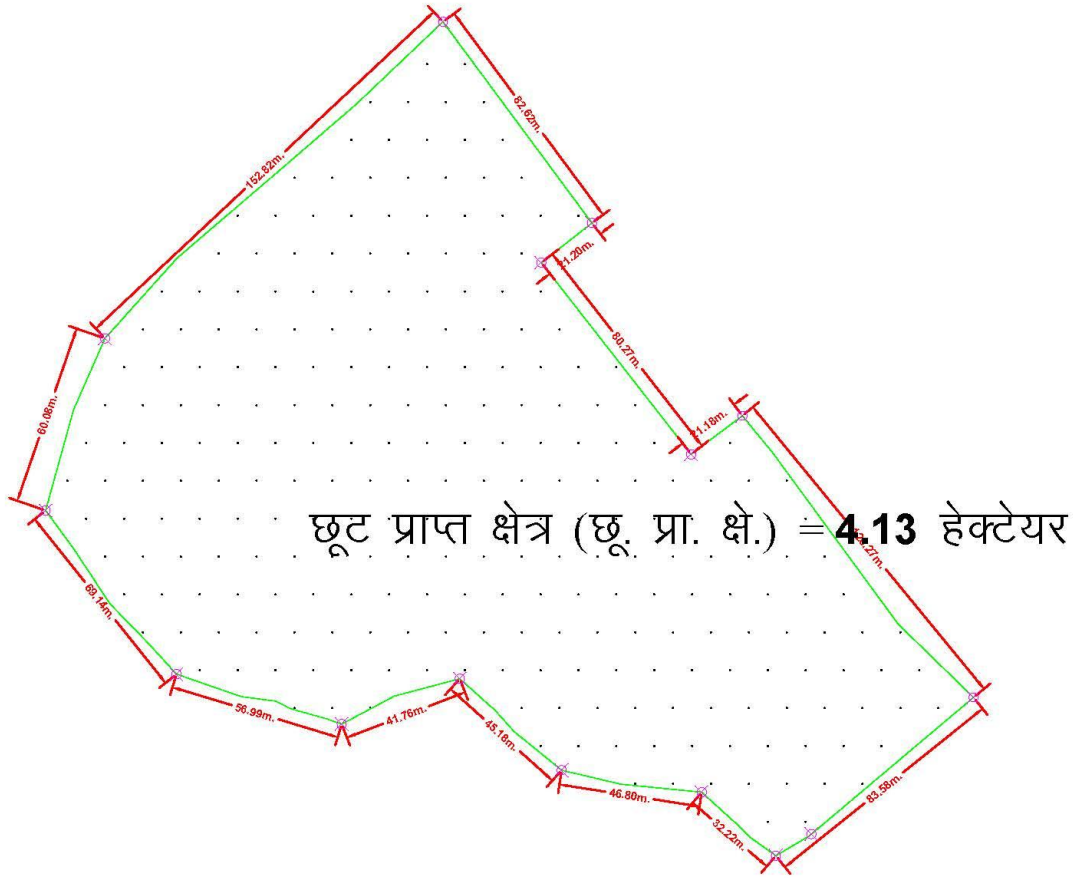
- 1) यह अधिसूचना दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत केवल 4.13 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) को दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के अंतर्गत श्रीनिवासपुरी, पैकेज-II, आई-मार्केट के पास, दक्षिण दिल्ली-110065 में जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) परियोजना के अंतर्गत एक भवन का निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से छूट देने हेतु जारी की जा रही है। जैसा कि वृक्ष अधिकारी (दक्षिण वन प्रभाग) द्वारा मांग की गई है।
- 2) दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत छूट हेतु यह अधिसूचना, किसी भी स्थिति में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्षों के प्रत्यारोपण/काटने की अनुमति के रूप में नहीं मानी जाएगी।
- 3) वृक्षों के प्रत्यारोपण/काटने हेतु आवेदन पर वृक्ष अधिकारी (दक्षिण वन प्रभाग) द्वारा दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण नियमावली, 1996 के प्रावधानों, संबंधित दिशा-निर्देशों, इस संबंध में जारी निर्देशों तथा समस्त संबंधित न्यायालय आदेशों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तथा पृथक रूप से विचार किया जाएगा और जांच की जाएगी, जिसमें छूट प्राप्त क्षेत्र के भीतर प्रत्यारोपित/काटे जाने वाले प्रभावित वृक्षों की संख्या को न्यूनतम करने हेतु आवेदन को ध्यान में रखा जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विजय कुमार बिधूड़ी, सचिव (पर्यावरण एवं वन)

अनुलग्नक—क

श्रीनिवासपुरी, पैकेज—II, आई-मार्केट के पास, दक्षिण दिल्ली—110065 में जनरल पुल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) परियोजना के अंतर्गत एक भवन का निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 (3) के अंतर्गत अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा के प्रावधान से धारा 29 के अंतर्गत छूट प्राप्त क्षेत्र की सीमा का विवरण।



संकेतिका :-	
परियोजना क्षेत्र (छूट प्राप्त)	000
निर्देशांक	000
बिंदु	✱
परिमाण	00.00m.

श्रीनिवासपुरी, पैकेज-II, आई-मार्केट के पास, दक्षिण दिल्ली-110065 में जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) परियोजना के अंतर्गत एक भवन का निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 (3) के अंतर्गत अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा के प्रावधान से धारा 29 के अंतर्गत छूट प्राप्त क्षेत्र की सीमा का विवरण।

क्र० सं०	उत्तर दिशा की ओर	पूर्व दिशा की ओर	अक्षांश	देशान्तर
1	3161653.523	720549.1511	28° 33' 47.0188" उ०	77° 15' 16.6711" पू०
2	3161607.759	720494.8616	28° 33' 45.5660" उ०	77° 15' 14.6427" पू०
3	3161601.281	720483.9047	28° 33' 45.3623" उ०	77° 15' 14.2352" पू०
4	3161622.247	720459.4364	28° 33' 46.0580" उ०	77° 15' 13.3498" पू०
5	3161629.505	720413.2007	28° 33' 46.3220" उ०	77° 15' 11.6544" पू०
6	3161659.687	720379.5777	28° 33' 47.3225" उ०	77° 15' 10.4387" पू०
7	3161644.713	720340.6001	28° 33' 46.8601" उ०	77° 15' 08.9947" पू०
8	3161661.211	720286.0478	28° 33' 47.4291" उ०	77° 15' 06.9998" पू०
9	3161715.205	720242.8595	28° 33' 49.2087" उ०	77° 15' 05.4487" पू०
10	3161771.996	720262.459	28° 33' 51.0407" उ०	77° 15' 06.2088" पू०
11	3161876.449	720374.0122	28° 33' 54.3643" उ०	77° 15' 10.3839" पू०
12	3161810.057	720423.1849	28° 33' 52.1784" उ०	77° 15' 12.1465" पू०
13	3161796.977	720406.4995	28° 33' 51.7639" उ०	77° 15' 11.5238" पू०
14	3161733.721	720455.9133	28° 33' 49.6798" उ०	77° 15' 13.2974" पू०
15	3161746.469	720472.8248	28° 33' 50.0834" उ०	77° 15' 13.9282" पू०
उपभोगी संस्था द्वारा आवेदन में प्रस्तुत डीडब्लूजी/केएमएल फाइल से डब्ल्यूजीएस-84, यूटीएम-43 का उपयोग करके निर्देशांक पुनः प्राप्त किए गए हैं।				
*छूट प्राप्त क्षेत्र = 4.13 हेक्टेयर				

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 24th September, 2026

F. No. ID No. 32003/TO(S)/TC-felling/2025-26/9392.— WHEREAS, an application ID no. 32003 on DPTA e-Forest portal was received by the Tree Officer (South Forest Division) from the Sh. Manthena Srinivasu GPRA Srinivaspuri Package-II, Near I-Market, Srinivaspuri, South Delhi-110065, New Delhi for seeking permission under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994) (hereinafter referred to as **DPTA, 1994**) for transplantation / felling of 89 number of trees for construction of a building under project General Pool Residential Accommodation, (GPRA), Srinivaspuri, package-II, Near I-Market South Delhi-110065, under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 in an area of 4.13 hectare.

AND WHEREAS, the Tree Officer (South Forest Division) after due application of mind, has sought exemption in respect of 4.13 hectare area (as per details in Annexure – A) under Section 29 of the DPTA, 1994 from applicability of Section 9 sub-section (3) of the DPTA, 1994, in view of limitation of maximum one hectare area for considering application of tree transplantation / felling by the Tree Officer (South Forest Division) in Section 9 sub-section (3) of the DPTA, 1994.

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the DPTA, 1994, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest, exempts an area of 4.13 hectare (as per details in Annexure – A), from the limitation of maximum one hectare area under sub-section (3) of Section 9 of the said Act for construction of a building under project General Pool Residential Accommodation, (GPRA), Srinivaspuri, package-II, near I-Market South Delhi-110065, under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 with the following conditions:-

- 1) This Notification is being issued under Section 29 of the DPTA, 1994 only to exempt the 4.13 hectare area (as per details in Annexure – A) from the limitation of maximum one hectare area under sub-section (3) of Section 9 of the DPTA, 1994 for the Construction of a building under project General Pool Residential Accommodation, (GPRA), Srinivaspuri, Package-II, near I-Market South Delhi-110065, under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 as sought by the Tree Officer.
- 2) This Notification for exemption under Section 29 of the DPTA, 1994, in any case, shall not be considered as permission for transplantation / felling of trees under the DPTA, 1994.
- 3) The application for transplantation / felling of trees shall be considered and scrutinized independently and separately by the Tree Officer (South Forest Division) under the provisions of the DPTA, 1994, the Delhi Preservation of Trees Rules, 1996, relevant guidelines, directions issued in this regard and all relevant court orders with due application of mind minimizing the number of affected trees to be transplanted / felled from within the exempted area.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

VIJAY KUMAR BIDHURI, Secy. (Environment & Forests)

Annexure- A

Boundary details of the area exempted U/S 29 from limitation of max 1 ha area U/S 9 (3) of Delhi Preservation of Trees Act, 1994, for Construction of a building under project General Pool Residential Accommodation, (GPRA), Srinivaspuri, package-II, near I-Market South Delhi-110065.



LEGEND:-

Project Area	
Coordinate No.	00
Points	
Dimensions	 00.00m.

Boundary Details of the Area Exempted U/S 29 from provision of limitation of max 1 ha area U/S 9 (3) Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994, for construction of a building under project General Pool Residential Accommodation, (GPRA), Srinivaspuri, Package-II, Near I-Market South Delhi-110065.

S.NO.	NORTHING	EASTING	LATITUDE	LONGITUDE
1	3161653.523	720549.1511	28° 33' 47.0188" N	77° 15' 16.6711" E
2	3161607.759	720494.8616	28° 33' 45.5660" N	77° 15' 14.6427" E
3	3161601.281	720483.9047	28° 33' 45.3623" N	77° 15' 14.2352" E
4	3161622.247	720459.4364	28° 33' 46.0580" N	77° 15' 13.3498" E
5	3161629.505	720413.2007	28° 33' 46.3220" N	77° 15' 11.6544" E
6	3161659.687	720379.5777	28° 33' 47.3225" N	77° 15' 10.4387" E
7	3161644.713	720340.6001	28° 33' 46.8601" N	77° 15' 08.9947" E
8	3161661.211	720286.0478	28° 33' 47.4291" N	77° 15' 06.9998" E
9	3161715.205	720242.8595	28° 33' 49.2087" N	77° 15' 05.4487" E
10	3161771.996	720262.459	28° 33' 51.0407" N	77° 15' 06.2088" E
11	3161876.449	720374.0122	28° 33' 54.3643" N	77° 15' 10.3839" E
12	3161810.057	720423.1849	28° 33' 52.1784" N	77° 15' 12.1465" E
13	3161796.977	720406.4995	28° 33' 51.7639" N	77° 15' 11.5238" E
14	3161733.721	720455.9133	28° 33' 49.6798" N	77° 15' 13.2974" E
15	3161746.469	720472.8248	28° 33' 50.0834" N	77° 15' 13.9282" E
Coordinates have been retrieved from DWG/KML file submitted in the application on e-Forest portal by the user agency.				
*Exempted area = 4.13 Ha.				